


फर्द-अहकाम
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय जिला-अजमेर(राज0)

प्रकरण संख्या- 31/23

बनाम.....

अन्तर्गत धारा:-.....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही इनिशियल्य जज
<p><i>(Handwritten notes and signatures on the left margin)</i></p>	<p><u>21/11/2025</u> वकील द्वारा आज कार्य स्थगन रखा गया है। पत्रावली वास्ते पूर्व नियत कार्यवाही हेतु निर्दिष्ट दिनांक <u>25/11/25</u> को पेज हो।</p> <p><u>25/11/25</u> पत्रावली पेक्षा हुई वकील प्रार्थी श्री महावीर गुजर उपस्थित है। वकील प्रार्थी द्वारा पत्रावली में न्यायालय समक्ष निवेदन किया जाया कि प्रार्थी पत्रावली पर कबे कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। कतः प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जावे। वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी द्वारा पत्रावली कोडरिक्त पर रिप्ली दर्ज की गई। प्रत्यक्ष में कोई पुनः दावा पेश नहीं किया गया है। रिप्ली रिचरि में प्रत्यक्ष में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रह जाती है। कतः वाद पत्र पर कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाती है। पत्रावली के मूल गुजर हो। नम्बर के कोडरिक्त दाखिल दफ्तर हो।</p> <p align="center">  उपखण्ड अधिकारी भिनाय (अजमेर) </p>